प्रिंटिंग एरिया

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

May 2023, Issue-101, Vol-02

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

37

प्रमुख संवैधानिक प्रविधान एवं मुस्लिम समाज पर उनका प्रभाव
(एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

उमा आर्या
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रो० रेनू प्रकाश
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

प्रस्तावना—

जैसा कि हम जानते है भारत अनेक विविधताओं वाला राष्ट्र है। यहाँ पर मात्र इतना उल्लेख करना पर्याप्त है कि भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र व भाषा सामाजिक विविधता के मुख्य आधार हैं। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त समस्याओं एवं परिवर्तन का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध उत्तराखण्ड के बागेश्वर जनपद के विकासखण्ड बागेश्वर में निवास करने वाली मुस्लिम समुदाय पर आधारित है। बागेश्वर विकासखण्ड एक परंपरागत ग्रामीण समाज है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कोई भी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से अछूता नहीं है। भारतीय मुस्लिम समाज आज भी आधुनिक विचारधारा एवं विकास के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। यदि हम उत्तराखण्ड के बागेश्वर विकासखण्ड के बारे में यदि बात करें तो यह आज भी अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ा हुआ, परंपरागत समाज माना जाता है। साथ ही बागेश्वर विकासखण्ड एक परंपरागत ग्रामीण क्षेत्र है।

जैसा कि यह सभी को ज्ञात है, इस्लाम का मूल आरंभ अरब में हुआ। प्राचीन अरबी धर्म ही परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म बन गया। यही कारण है कि इस्लाम धर्म और मुसलमानों के सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम सामाजिक जीवन, संगठन एवं संगठन की प्रमाणिक जानकारी हमें कुरान से मिलती है। कुरान मुस्लिम रीति—रिवाज का का मुख्य श्रोत तथा मुस्लिम जीवन पद्धति के लिये सर्वोपरि प्रमाण है इस्लाम में गति का सिंद्वान्त विद्यमान माना गया है। इसलिये मुस्लिम सामाजिक संगठन एवं जीवन पद्धति देश और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहती है। और जो मुस्लिम सदियों से भारत में रह रहे हैं, और जो हिंदु मुगलों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनाये गये उनके सामाजिक संगठन और जीवन पर हिंदुओं की स्पष्ट छाप अंकित है।[३]

भारत को अधिकांश विद्वान एक परंपराओं का राष्ट्र मानते हैं। भारत में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में परंपराऐं भी अनेक धर्मो के अनुसार पृथक—पृथक हैं। भारतीय समाज में पाये जाने वाले अनेक धर्मो ने अपनी—अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपने—अपने तौर तरीकों से विकसित किया है। भारतीय धर्मो के धर्मावलंबियों में धार्मिक परंपराओं का एक एक सुंदर समन्वय, क्षेत्रीय संस्कृति के विकास में कुछ सामान्य विशेषताओं का विकास हुआ। जैसे जाति, संयुक्त परिवार, ग्रामीण जीवन शैली तथा बन्धुत्व के स्वीकृति आदर्श नियमों और प्रतिमानों में दृष्टिगत होती है। तथा भारतीय परंपरा में पवित्रता, संस्कृति, रीतिरिवाजों और कर्मकाण्डीय प्रतिमानों, अनुष्ठानों, विश्वासों की धार्मिक व्यवस्थाऐं आदि भी व्यापक रूप से दिखाई देती हैं।[४]

अध्ययन का उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के लिये प्रमुख संवैधानिक प्रविधान एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है।

प्रमुख संवैधानिक प्रविधानः—

भारतीय संविधान १९५० में कुछ प्राविधान हैं जो भारत के सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देते हैं यह छः मौलिक अधिकार हैं और वे धर्म, जाति और लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हैं इन अधिकारों का उलंघन होने पर व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों का आह्वाहन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग ३ में शामिल हैं इसे भारतीय संविधान के मैग्नाकार्टा के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में छः मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकर हैं।[५]

१. समानता का अधिकार (अनुच्छेद १४—१८)
२. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद १९—२२)
३. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद २३—२४)
४. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद २५—२८)
५. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९—३०)
६. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)

साहित्य सर्वेक्षण—

इम्तियाज अहमद, १८८६, ने भारत के मुस्लिम समाज पर सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है।[६]

मुहम्मद इकबाल अहमद, १९८५, ने अपने अध्ययन में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति का वर्णन किया है जैसा कि कुरान में शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुस्लिम को ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे चीन जैसे दूर—दराज क्षेत्र में जाना पड़े। लेखक के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि औरंगजेब का काल शैक्षिक सुधार का काल था। उन्होनें भारत के धार्मिक संस्थानों के बारे में भी वर्णन किया। लेखक के अनुसार मुस्लिमों में शिक्षा की स्थिति मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण संतोषजनक नहीं है।[७]

इस्लामिक कानून की समीक्षा करते हुए **नोएल जे० कॉल्सन,१९६५** लिखते हैं परन्तु इस्लामी न्यायशास्त्र चाहे कितनी भी समस्याओं से जूझ रहा हो, कानूनी आधुनिकता ने कम से कम शरिया कानून में नया जीवन व हलचल फूँक दी है और रूंधी हुई धमनियों को मृत्यु पश्चात् शरीर की जकड़न की स्थिति होने से पहले उबार लिया है। मध्ययुगीन विद्वानों के सिद्धांतों के अंधानुकरण का तकलीद का युग इस्लामी इतिहास में एक लंबे समय तक चला प्रतिबंध जैसा प्रतीत होता है। ठहराव ने अब नई जीवंतता और विकास की सम्भावनाओं के लिए रास्ता दे दिया है।[८]

ए० युसुफ अली, १९४१ ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा में पाश्चात्य प्रभाव अधिक सकारात्मक है। सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक शिक्षा को मानकीकृत कर दिया गया है। उनके स्वयं के चाहे जो विशिष्ट लक्षण हो परंतु उन्हें सामान्य प्रावधानों तथा अनुदान की व्यवस्था के माध्यम से सामान्य मानकों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। ...कलकत्ता मदरसा की एक आधुनिक जगह है जिसे सरकार नियंत्रित करती है और दिल्ली अरेबिक कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के मानकों के अधीन चलना पड़ता है लखनऊ में नदवत् उलामा के आधुनिकीकरण में सबसे बड़ योगदान मौलवी शिबली नुमानी के प्रयासों का रहा है।...सम्पूर्ण भारत के लिए सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि इस पीढ़ी के ९५ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसी शिक्षा पा रहे हैं चाहे वह अंग्रेजी में न हो, एक शताब्दी पूर्व पारम्परिक शिक्षा से पूर्णतया भिन्न है।[९]

शोध अभिकल्प एवं पद्धतिशास्त्र—

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अत: शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है। जनगणना २०११ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की १७.२२ करोड़ है। वर्तमान में यह १४.२३ प्रतिशत से कुछ अधिक है। इतने बड़े धार्मिक समुदाय की भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास में जो भूमिका होनी चाहिए वह अभी वास्तव में देखने को नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज भारतीय समाज का अंग होते हुए भी किसी विकास की प्रक्रिया में अपना स्पष्ट योगदान नहीं दे पा रहा है। हालाँकि मुस्लिम समाज पर अनेक अध्ययन हुए हैं किन्तु अध्ययन क्षेत्र की परंपरागतता को ध्यान में रख कर मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प ही प्रस्तुत अध्ययन के लिये उपयुक्त समझा गया। प्रस्तुत अध्ययन को निदर्श पर आधारित किया गया है।

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड का बागेश्वर जनपद तीन ब्लॉकों में विभक्त है। बागेश्वर, कपकोट व गरूड़। चूँकि प्रस्तुत अध्ययन मुस्लिम समाज पर आधारित है, प्राथमिक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि, विकासखण्ड बागेश्वर में अन्य दो ब्लॉकों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। अत: प्रस्तुत अध्ययन विकासखण्ड बागेश्वर के मुस्लिम समाज पर आधारित है। ब्लॉक से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार बागेश्वर विकासखण्ड में कुल ४१५ गाँव हैं। जो ११ वार्डों में विभक्त हैं, तथा इसमें मुस्लिम समुदाय के कुल १४५ परिवार निवासरत हैं, तथा जिसमें कुल मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ७५७ है। जिसमें ४२७ पुरूष व ३३० महिलाऐं हैं।

अत: इन दोनों के ५० प्रतिशत का चयन

किया गया है, इस प्रकार अध्ययन में २१४ पुरूष व १६५ महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन ३७९ अध्ययन ईकाइयों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े एकत्रित मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यक्तानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ—अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्नांकित सारणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक समाज में स्त्री और पुरूष के मध्य कार्यात्मक विभाजन किया जाता है अत: सामाजिक स्तरीकरण में लिंग का विशेष महत्व होता है अत: प्रस्तुत अध्ययन में कुल इकाईयों में पुरूष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना आवश्यक है। निम्नांकित सारणी इत मत को इंगित करती है।

भारतीय संविधान द्वारा समाज में प्रत्येक समुदाय में किसी प्रकार भी भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ में भेदभाव को निषेध किया गया है।

सारणी संख्या—०१

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	महिला	१६५	४३.५४
२.	पुरूष	२१४	५६.४६
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में ५६.४६ प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता सम्मिलित हैं, जबकि ४३.५४ प्रतिशत उत्तरदाता महिलाऐं हैं। अत: स्पष्ट है कि अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाता पुरूष हैं।

शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विचारों पर अपना विशेष प्रभाव डालती है वास्तव में शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं क्योंकि इससे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही जागरूकता के स्तर को भी बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद ३० में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का जिक्र किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को बनाने और संचालित करने के लिए अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि उक्त प्रावधान को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। अनुच्छेद ३० (१) में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद ३० (२) में राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में चाहे व धर्म या भाषा पर आधारित हो का अधिकार दिया गया है।[१०] अत: अध्ययन में यर्थाथ निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु साक्षरता की दर को स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं की साक्षरता दर को स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या—०२

साक्षरता के स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तरों का स्वरुप	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	निरक्षर	१००	२६.३९
२.	साक्षर	२७९	७३.६१
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाता (७३.६१ प्रतिशत) साक्षर है। जबकि २६.३९ प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर है। अध्ययन से प्राप्त आकडों के अनुसारयह कहा जा सकता है कि अध्ययन के सर्वाधिक उत्तरदाता साक्षर है जबकि यह बडे दु:ख का विषय है कि आज के आधुनिक समाज में २६.३९ प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं। साक्षरता की दर तो बहुत उच्च है किंतु अभी इस समाज में निरक्षर उत्तरदाता भी सम्मिलित हैं।

भारतीय संविधान द्वारा समाज में प्रत्येक समुदाय में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाता हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ में धर्म, जाति या जन्म स्थान पर भेदभाव को निषेध किया गया है। प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं द्वारा इसी मत को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या—३

शिक्षा के स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तरों का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्राथमिक	५०	१७.९२
2.	हाईस्कूल	६१	२१.८७
3.	इन्टर	६४	२२.९४
4.	स्नातक	४९	१७.५६
5.	स्नातकोत्तर	४०	१४.३४
6.	तकनीकि शिक्षा	११	०३.९४
7.	अन्य	०४	०१.४३
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्ययन में २२.९४ प्रतिशत उत्तरदाता इण्टर तक शिक्षित हैं जबकि २१.८७ प्रतिशत हाईस्कूल, १७.५६ प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक, १४.३४ प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर, ०३.९४ प्रतिशत उत्तरदाता तकनीकि शिक्षा एवं ०१.४३ अन्य बी.एड. या अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े हैं। साक्षर उत्तरदाताओं में भी उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत काफी कम पाया गया है जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या—०४

भारतीय संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं करता। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं का मत

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	१३६	३५.८८
2.	सहमत	१६४	४८.५५
3.	आंशिक सहमत	५५	१४.५२
4.	असहमत	०४	१.०५
5.	पूर्ण असहमत	००	००.००
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (४८.५५ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। इसके साथ ही ३५.८८ प्रतिशत उत्तरदाता दिये गये उक्त मत से पूर्णतः सहमत हैं। जबकि १४.५२ प्रतिशत उत्तरदाता दिये गये उक्त मत से आंशिक सहमत हैं। १.०५ प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से असहमत हैं व उक्त मत से जो उत्तरदाता पूर्णतः असहमत हैं, उनका प्रतिशत शून्य पाया गया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः सहमत, व सहमत हैं कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। बल्कि अपने सर्वांगीर्ण विकास के लिये उनके समान अवसर प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के १५ वें अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी स्थान पर स्वेच्छा से जाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं के इसी मत को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या—०५

अल्पसंख्यक वर्ग को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश सम्बन्धित बाधा का सामना करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	७१	१८.७३
2.	नहीं	२३३	६१.४८
3.	कह नहीं सकते	७५	१९.७९
योग		३७९	१००

सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता (६१.४८ प्रतिशत) इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि अल्पसंख्यक वर्ग होने के कारण मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों व मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है। जबकि (१८.७३ प्रतिशत) उत्तरदाता उक्त मत को स्वीकार करते हैं तथा १९.७९ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपना कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को सामाजिक तौर पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश संबंधि किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग—३ (अनुच्छेद १२—३५) वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये अधिकार हैं। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वह संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों से परिचित हैं।

सारणी संख्या—०६

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से परिचित होने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	१७९	४७.२३
2.	नहीं	७५	१९.७९
3.	थोड़ा बहुत	१२५	३२.९८
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता ४७.२३ प्रतिशत इस मत को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं, वह उन अधिकारों से भली—भाँति परिचित हैं। ३२.९८ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें इन अधिकारों के संदर्भ में थोड़ी—बहुत जानकारी प्राप्त है। जबकि १९.७९ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें

इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। अत: सार रूप में यह कहा जा सकता है कि, जहाँ एक ओर अधिकार उत्तरदाताओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाताओं के एक बहुत बड़े तर्ज को इन अधिकारों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी ही प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समाज में आज भी जागरूकता का आभाव है।

राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत महिलाओं के विकास और सुशासन के लिए प्रावधान–भारत में संविधान के तहत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों को कानूनों के माध्यम से लागू किया गया। अनुच्छेद ३९ (A) यह निर्देश प्रदान करता है कि नागरिकों, पुरूषों और महिलाओं के समान रूप से आजिविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। अनुच्छेद ३९ (D) यह सुनिश्चित करता है कि पुरूषों एवं महिलाओं द्वोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो।[१९] इसी अनुसरण में संसद में समान पारिश्रमिक अधिनियम १९७६ अधिनियमित किया है। इसी प्रकार संविधान में महिलाओं को समानता व उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि संविधानिक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करते हैं जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या–०७

संवैधानिक अधिनियमों का मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णत: सहमत	९८	२५.८५
2.	सहमत	१३७	३६.१५
3.	आंशिक सहमत	८९	२३.४९
4.	असहमत	३०	७.९२
5.	पूर्ण असहमत	२५	६.५९
योग		३७९	१००

सारणी के अनुसार ३६.१५ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि अनेक संवैधानिक अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। जबकि २५.८५ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णत: सहमत हैं। २३.४९ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से आंशिक रूप से सहमत हैं, इसके विपरीत ७.९२ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत तथा ६.५९ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णत: असहमत हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अनेक संवैधानिक अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। अध्ययन से प्राप्त आंकड़े इस बात की पुष्टि भी करते हैं, क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया है।

संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न संवैधानिक अधिनियम समाज में परिवर्तन एवं विकास की दिशा का निर्धारण करते हैं मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि अध्ययन से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर स्पष्ट होता है कि संवैधानिक अधिनियमों एवं योजनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर मुस्लिम समाज में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या–०८

संवैधानिक अधिनियमों के द्वारा मुस्लिम समाज में परिवर्तन के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	१९४	५१.१९
2.	नहीं	७७	२०.३२
3.	कह नहीं सकते	१०८	२८.४८
योग		३७९	१००

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक (५१.१९ प्रतिशत) उत्तरदाता इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान द्वारा दिये गये अधिनियमों से मुस्लिम समाज में परिवर्तन आये हैं। जबकि २८.४९ प्रतिशत इस तथ्य के संदर्भ में अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं करते। व २०.३२ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत को अस्वीकार करते हैं। अत: संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि संविधान में दिये अधिनियमों से मुस्लिम समाज में परिवर्तन आया है।

वर्तमान समाज के संदर्भ में यदि बात करें तो अब परम्परागत समाज धीरे–धीरे परिवर्तित होने लगे हैं। परम्परागत मुस्लिम समाज में भी यह परिवर्तन दिखलाई देने लगा है क्योंकि परम्परागत मुस्लिम समाज में भी धीरे–धीरे आधुनिकीकरण का समावेश होने लगा है। यहॉ पर यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि परिवर्तन में संवैधानिक अधिनियमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिससे यह परिवर्तन संभव हो पाया है। निम्नांकित सारणी भी इस मत की

पुष्टि करती है।

सारणी संख्या—०९

प्राचीन संस्कृति में आधुनिकता के समावेश के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	२१६	५६.९९
2.	नहीं	३४	०८.९७
3.	कह नहीं सकते	१२९	३४.०४
योग		३७९	१००

उक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक (५६.९९ प्रतिशत) उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि प्राचीन संस्कृति में धीरे—धीरे आधुनिकता का समावेश हो रहा है। जबकि ३४.०४ प्रतिशत उत्तरदाताओं का उक्त मत के संदर्भ में स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया है। एवं ८.९७ प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत को स्वीकार नहीं करते हैं। अत: सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत को स्वीकार करते हैं कि अब प्राचीन संस्कृति में आधुनिकता का समावेश हो रहा है।

सारांश निष्कर्ष—

सम्पूर्ण शोध विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया में संवैधानिक अधिनियमों का एक विशेष महत्व है तथा इन संवैधानिक अधिनियमों द्वारा कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगे हैं क्योंकि अध्ययन से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता इस संदर्भ में सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। संविधान के अधिनियम उनके सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है इसी प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें सामाजिक तौर पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश संबंधी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। अध्ययन में यह एक सुखद पक्ष दृष्टिगत होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी है। किंतु ३२.९८ प्रतिशत उत्तरदाताओं को केवल इन अधिनियमों की थोड़ी जानकारी है इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव माना जा सकता है। संवैधानिक अधिनियमों में मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है क्योकि सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि संवैधानिक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करते हैं इसी प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि संवैधानिक अधिनियमों द्वारा मुस्लिम समाज के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में परिवर्तन आने लगा है। साथ ही सर्वाधिक उत्तरदाताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि इन परिवर्तनों में उनकी प्राचीन संस्कृति को भी परिवर्तित करके आधुनिकता का समावेश किया है यद्यपि संवैधानिक अधिनियमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसके लिए आवश्यकतानुसार समय—समय पर परिवर्तन भी किये हैं। किंतु यदि मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को देखा जाय तो जहॉ एक ओर ७३.६१ प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर हैं वहीं दूसरी ओर २६.३९ प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं साथ—साथ अधिकांश उत्तरदाता केवल हाईस्कूल व इंटर तक ही शिक्षित हैं उच्चशिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत अभी काफी कम है। अत: प्राप्त ऑकड़े इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि मुस्लिम समाज में आज भी शिक्षा के स्तर में परिवर्तन की गति काफी धीमी है इस प्रकार कहा जा सकता है कि संवैधानिक अधिनियमों का मुस्लिम समाज पर प्रभाव तो पड़ रहा है किंतु कई परिप्रेक्ष्यों में जागरूकता के अभाव में परिवर्तन की गति धीमी पाई गई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

१. जहॉ, तबस्सुम, मुस्लिम महिलाएं एवं आधुनिकता: आधुनिकता के मिथक का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (काशीपुर नगर के मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में), कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, अप्रकाशित शोध प्रबंध, वर्ष २०१८, पृ. ३

२. खली, कुजमा: मुस्लिम महिलाओं में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, वर्ष, २०११, पृ.३४

३. http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/

४. ए० युसुफ अली, १९४१, 'मुस्लिम कल्चर एण्ड रिलिजियस थॉट', मॉडर्न इंडिया एण्ड द वेस्ट (ed. L.S.S.O.), मेली लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, पृ. ४१०

५. नोएल, जे०, कॉलसन, १९६५, ई—कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस एण्ड इस्लामिक लॉ रिलिजल एण्ड प्रोग्रेस इन मॉडर्न एशिया, (मक) आर०एन० वल्लाह न्यूयार्क: द फ्री प्रेस, पृ. ७४—९२

६. मुहम्मद इकबाल अहमद, १९८५, ''ट्रेडिशनल ऐजुकेशन अमंग मुस्लिम्स'' बी० आर० पब्लिशर्स कारपोरेशन, देहली।

७. इम्तियाज अहमद, १८८६, मॉर्डनाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज अमंग मुस्लिम इन इण्डिया, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

8. http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/

9. http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/

(Footnotes)

१ शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल,

२ शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

३ जहॉ, तबस्सुम, मुस्लिम महिलाएं एवं आधुनिकता: आधुनिकता के मिथक का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (काशीपुर नगर के मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में), कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, अप्रकाशित शोध प्रबंध, वर्ष २०१८, पृ. ३

४ खली, कुजमा: मुस्लिम महिलाओं में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, वर्ष, २०११, पृ.३४

५ http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/

६ इम्तियाज अहमद, १८८६, मॉर्डनाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज अमंग मुस्लिम इन इण्डिया, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

७ मुहम्मद इकबाल अहमद, १९८५, ''ट्रेडिशनल ऐजुकेशन अमंग मुस्लिम्स'' बी० आर० पब्लिशर्स कारपोरेशन, देहली।

८ नोएल, जे०, कॉलसन, १९६५, ई—कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस एण्ड इस्लामिक लॉ रिलिजल एण्ड प्रोग्रेस इन मॉडर्न एशिया, (ed) आर०एन० वल्लाह न्यूयार्क: द फ्री प्रेस, पृ. ७४—९२

९ ए० युसुफ अली, १९४१, 'मुस्लिम कल्चर एण्ड रिलिजियस थॉट', मॉडर्न इंडिया एण्ड द वेस्ट (ed. L.S.S.O.), मेली लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, पृ. ४१०

10 http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/

11 http://hindi.ipleaders.in/fundamental-right-under-indian-constitution/